# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

## अनुज्ञप्ति रद्द अपील वाद संख्या – 32/2023

### विजय करमाली बनाम् झारखण्ड सरकार (जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़)

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
| --- | --- | --- |
| 02.05.2023 | इस वाद की कार्रवाई अपीलार्थी विजय करमाली, पिता–जानकी करमाली, ग्राम–बीचा, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ के द्वारा जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के द्वारा ज्ञापांक–920/आ०, दिनांक–26.10.2021 के द्वारा श्री विजय करमाली ज०वि०प्र०, अनु०सं०–07/99 पंचायत–बीचा, प्रखण्ड–पतरातू को रद्द करने के विरूद्ध अपील धारा अंतर्गत 31, झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली 2017 के अंतर्गत अपील दायर किया गया है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई की गई।<br>सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी के अनु०सं०–07/99 को जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा दिनांक–26.10.2021 को रद्द किया गया। जिसके विरूद्ध दिनांक–19.11.2021 को अपील दायर किया गया लेकिन त्रुटि रहने के कारण अपील श्रीमान के बेवसाइट पर प्रर्दशित नही हो पा रहा है। उन्होने अपील आवेदन Admit करने का अनुरोध किया है।<br>विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पूर्व में भी अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति निलंबित कर चुके है। ये इनका दुसरी बार अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द किया गया। इनका अनुज्ञप्ति दिनांक–26.10.2021 को रद्द किया गया और इनके द्वारा अपील दिनांक–24.04.2023 को दायर किया गया, जो कालबाधित है।<br>अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विद्वान सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में अपील आवेदन प्रविष्टि के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।<br>संचित करें।<br>लेखापित एवं संशोधित।<br>माधवी मिश्रा 02.5.23<br>उपायुक्त,<br>रामगढ़।<br>माधवी मिश्रा 02.5.23<br>उपायुक्त,<br>रामगढ़। | |

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.05.23 11:25:42 +05:30
Location: 192.168.0.185